


कार्यालय नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।
दिनांक 16.03.2018

सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए कैंटीन, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी, फूट-चाट एवं फोटोस्टेट का ठेका छोड़े जाने हेतु दिनांक 30 मार्च, 2018 की सांय 04.00 बजे भू तल पर स्थित सेन्ट्रल हॉल में नीलामी खुली बोली के द्वारा की जायेगी। ठेका न्यायालय भवन, गाजियाबाद के सामने कैंटीन, फूट-चाट, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी एवं फोटोस्टेट हेतु क्रमशः 50 X 14, 30 X 14, 40 X 14, 20 X 14 एवं 20 X 14 फीट के स्थान में संचालित किया जायेगा।

नीलामी सम्बन्धी शर्तें एवं अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओं को प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 10,000/- (दस हजार) धरोहर धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।


16-3-2018

अध्यक्ष, नीलाम समिति/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित :-

- 1- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
- 3- नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
- 4- तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
- 5- नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
- 6- स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
- 7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।